



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-17042026-271877
CG-TL-E-17042026-271877

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 270]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 16, 2026/चैत्र 26, 1948
No. 270]	NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 16, 2026/CHAITRA 26, 1948

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 15 अप्रैल, 2026

फा. सं. आईआरडीएआई/4/218/2026.— बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 23 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण ने 30.03.2026 को आयोजित 135वीं बैठक में बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 34 के अधीन अपनी शक्ति का प्रत्यायोजन किया है।

प्राधिकरण द्वारा यथाअनुमोदित शक्तियों का उक्त प्रत्यायोजन निम्नानुसार है:

धारा सं.	शक्ति का स्वरूप	शक्ति का प्रत्यायोजन निम्नलिखित को किया गया
बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 34	अभिनिर्धारित उल्लंघनों के लिए किसी प्रवर्तन कार्यवाही में किसी बीमाकर्ता को अथवा, विशेष रूप से बीमा मध्यवर्ती को निदेशों का निर्गम	अध्यक्ष के द्वारा गठित दो (2) पूर्णकालिक सदस्यों का पैनल
	बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 34 के अधीन, किसी अन्य विषय में निदेश का निर्गम	अध्यक्ष

जे. मीना कुमारी, कार्यकारी निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./39/2026-27]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA**NOTIFICATION**

Hyderabad, the 15th April, 2026

F. No IRDAI /DoP/4/218/2026. - In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 23 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Authority in the 135th meeting held on 30.03.2026 has delegated its power under Section 34 of Insurance Act 1938.

The delegation of powers as approved by the Authority are as under:

Section No.	Nature of Power	Power delegated to
Section 34 of the Insurance Act, 1938	Issuance of directions to any insurer or insurance intermediary in particular, in an enforcement proceeding for identified violations.	Panel of two (2) Whole Time Members, constituted by the Chairperson
	Issuance of direction on any other matter under Section 34 of the Insurance Act, 1938.	Chairperson

J. MEENA KUMARI, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./39/2026-27]